न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 49/23 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2023/105

उनवान

1. महाराज सिंह पुत्र लक्ष्मन जाति मीना निवासी ग्राम खोखला तहसील सरमथुरा व जिला धौलपुर।
2. मोहन सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद जाति मीना निवासी ग्राम उमरेह तहसील बाडी व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. दौलत सिंह पुत्र राजधर जाति ठाकुर निवासी मौहल्ला ठाकुरपाडा कस्बा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0।
2. रजिया पत्नी मौहम्मद इशाक जाति मुसलमान निवासी कस्बा बाडी तहसील बाडी हाल निवासी मौहल्ला कोटला पुराना शहर धौलपुर।
3. अमि पुत्र कल्याण सिंह जाति ठाकुर निवासी ठाकुरपाडा कस्बा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह जाति ठाकुर निवासी मौहल्ला ठाकुरपाडा कस्बा बाडी तहसीसल बाडी जिला धौलपुर।
5. राजस्थान सरकार तामिल जरिये तहसीलदार बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बाडी दि0 14.06.2023 प्र.सं. 09/2018 उनवानी दौलत सिंह बनाम महाराज सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री सुरेश श्रीवास्तव वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–24.10.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने पर आये दिन पक्षकारान के मध्य

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 02.01.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार बाडी से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं तहसीलदार बाडी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2023 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों अपीलाण्ट के खाते को संयुक्त रख दिया। जिस कारण उन्हें फिर से आपसी विभाजन का नया दावा प्रस्तुत करने पडेगा। इसके अलावा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गयी है। विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं होकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2023(2) पेज 1403, आरआरटी 2023(2) पेज 1044, 2023(1) पेज 219 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अपने नीचे के अधिकारी/कर्मचारियो से तैयार करवा सकता है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलाण्ट्स को पृथक–पृथक बॅटवारा किया गया है एवं अलग–अलग खसरा नम्बर दिये गये हैं। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1978 पेज 638 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उन्हें तहसीलदार के लिये पृष्ठांकन किया हुआ है। विभाजन प्रस्तावो पर ना तो तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं एवं ना ही किसी पक्षकार के हस्ताक्षर है। नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार को बनाया जाना आज्ञापक है। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

करना उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2023 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार बाडी को निर्देशित करें कि वह पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए, विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, प्रकरण में विधिसम्मत अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर